

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व, भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट)

पीठसीन अधिकारी :- शकुंतला चौधरी आर0ए0एस0

1. संजय } पि०
2. ताराचन्द } सुखराम
जाति जाट सा०वीराण

उनवान

बनाम

1. सुखराम पि० हेमराज } जाट
2. दर्शना पुत्री सुखराम }
सा० वीराण
3. S B न शाखा एवनीकडी
4. राज. सरका जटिरे लक्ष्मीकडी
भादरा

दावा बाबत :- 88 RT Act


मुकदमा नम्बर :- 01/2021

निर्णय दिनांक :- 15.11.2021

वादी की ओर से वकील मुंशीराम गोस्वामी की व प्रतिवादीगण की ओर से वकील श्री ताराचन्द मोहसद की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 15.11.2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि चक्र 1 A.M.C खाता सं० 64/61 के मु० न० 7 किला न० 7/2, 14, 16, 17, 23 त 25, मु० न० 12 किला न० 3 त 8 कुल किला 13 की 3, 162 हैबटेप नदरी मय खाला प्रतिवादी सुखराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, उसमें प्रतिवादी सं० 2 दर्शना ने वादीगण एवं प्रतिवादी सं० 1 सुखराम के हक में हिस्सा त्याग कर शुल्क भर लिया है। अतः त्याग किये गये हिस्सा पर पंजीयन विभाग को निश्चालन पर पंजीयन शुल्क देय हो। इसलिए उक्त वादक्रम में वादी संजय, ताराचन्द एवं प्रतिवादी सुखराम व हि० के अनुसार खातेदार का शतकार कोषित किया जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 15.11.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


शकुंतला चौधरी (RAS)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़